FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु .... मुकाम ....

खेताराम .... बनाम .... गोरखाराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा. भू. अ. 111, 128 .... नं. 139 .... सन् 19

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.05.19	प्रार्थी/~~वादी/अपीलांट~~ के वकील श्री नरपत [illegible] ने यह प्रार्थना पत्र/~~वाद~~/अपील धारा 111, 128 राज~~स्थान काश्तकारी~~/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/~~रेस्पोंडेंट~~ जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 29.05.19 को पेश हो।	
29/05/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल फार्म तामिल अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 25/06/19 को पेश हो।	
25/06/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 16/09/19 को पेश हों।	
16/09/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 15/10/19 को पेश हों।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.31 14:44:54 IST
Reason: SelfAttested

14/10/19

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील हुआ प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई, अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेत सीर मेड़ शामिल हुए है। प्रार्थीगण के खेत के चारो ओर पुराने मेड़ बने हुए है विपक्षीगण उक्त मेड़ो को तोड़ने की कोशिश करते रहते है। जिससे प्रार्थीगण का विपक्षीगणों के साथ हमेशा सीमा बाबत विवाद बना रहता है। बरसात के मौसम में प्रार्थीगण अपने खेत में शान्ति पूर्वक काश्त करना चाहते है प्रार्थी उक्त विवाद से हमेशा के लिये छुटकारा पाने के लिये अपने खेतो की पक्की नेपामबन्दी करवाना चाहते है इसलिए प्रार्थी का नेपामबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेपामबन्दी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेपामबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बागड़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ कोई भी भू अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतो की पक्की नेपामबन्दी मौके पर कमिश्नर हुलिया जमाबंदी कर पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

संतुलक सेवार्थ
प्रति नकल प्रेषित तहसीलदार

14.10.2019

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.31 14:44:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... दिनांकः— 15/10/19

क्रमांक / वाद / 2019 / 676
राजस्व आवेदन संख्या — 139 / 19

प्रार्थीगण

श्री खेताराम पुत्र गुमनाराम
वगैरा 7 जातियान्—जाट,
निवासीयान्—नरसाली नाडी,
तहसील—बायतु, जिला—बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

श्री गिरधारीराम पुत्र दमाराम वगैरा
38 जातियान्—निवासीयान्—नरसाली
नाडी, तहसील—बायतु, जिला—बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा नरसाली नाडी पटवार हल्का कोलू के खेत खसरा नम्बर 1002, 1003, 1004, 1025, 1023/957 रकबा क्रमशः 00.02, 00.08, 38.15, 38.07, 04.06 बीघा कुल रकबा 81.18 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500/— जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांकः— 15/10/19

क्रमांक / वाद / 2019 / 677—81
प्रतिलिपि :—निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, कोलू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री खेताराम पुत्र गुमनाराम वगैरा 7।
4. विप्रार्थीगण श्री गिरधारीराम पुत्र दमाराम वगैरा 38।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.31 14:44:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बायतु